राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष : 0522–2720383, 384, 137, 138, 139 फैक्स : 0522–2720056

ई–मेल : mandipar@hotmail.com वेबसाइट : www.upmandiparishad.upsdc.gov.in

पत्रॉक: अधि0 "क"/(337)/2018– 1602 दिनॉक: 27/8/ ,2018

विज्ञापन

मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों से सम्बन्धित विधिक प्रकरणों यथा मा0 उच्चतम् न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, मा0 लोक सेवा अधिकरण, श्रम न्यायालयों एवं जनपद न्यायालयों आदि में सेवा सम्बन्धी, मण्डी शुल्क, भूमि अधिग्रहण, आयकर एवं सेवाकर आदि से सम्बन्धित वादों आदि की पैरवी, विधिक परामर्श तथा मण्डी निदेशक द्वारा निर्देशित कार्यों के निस्तारण हेतु उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी यथा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, ऐसे अधिवक्ता जो मा0 उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक का वकालत करने एवं मण्डी अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों आदि का अनुभव रखते हों अथवा किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में विधि परामर्शी के पद से सेवानिवृत्त हुए हों को मण्डी परिषद मुख्यालय पर विधि परामर्शी के रूप में रखा जाना है।

उक्तानुसार पात्रता पूर्ण करने वाले इच्छुक व्यक्तियों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करने हेतु दिनांक: 10.9.18 तक संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

(1) कार्य अवधि प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी। विधि परामर्शी के रूप में सेवायें पूर्णतया आवश्यकता पर आधारित होंगी तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य अवधि समाप्त करने का अधिकार निदेशक को होगा।

(2) विधि परामर्शी की शर्तों को किसी भी समय निदेशक द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, किन्तु समयावधि में वृद्धि एवं नियत पारिश्रमिक की दर में परिवर्तन अध्यक्ष, मण्डी परिषद के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

(3) उक्त कार्य हेतु मानदेय **रु0 30,000.00 मात्र** प्रतिमाह दिया जायेगा।

(4) स्थानीय यात्राओं हेतु परिषद का वाहन तथा निवास पर परिषद की ओर से टेलीफोन की सुविधा तथा परिषद के कार्यों हेतु मुख्यालय से बाहर जाने पर समूह "क" के अधिकारी को न्यूनतम् अनुमन्य वास्तविक यात्रा भत्ता देय होगा।

(5) सेवानिवृत्त कार्मिक की दशा में आवेदन हेतु अधिकतम् आयु सीमा 65 वर्ष एवं मा0 उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होने की दशा में आयु सीमा न्यूनतम् 35 एवं अधिकतम् 65 वर्ष होगी।

(6) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।

(7) आवेदन पत्रों की जॉचोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा।

नोटः–

1. निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र नियत अवधि में कार्यालय–उप निदेशक(प्रशा0/विप0), (अधिष्ठान–'क') मण्डी परिषद, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।
2. प्रस्तावित चयन प्रकिया एवं विज्ञप्ति के कम में प्राप्त कोई भी आवेदन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मण्डी निदेशक को होगा।

27/8/18

(रमाकान्त पाण्डेय)
मण्डी निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0 प्र0 में विधि परामर्शी हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारुप

अद्यावधिक पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ

आवेदन–पत्र

1 आवेदक का पूरा नाम– ....

2 पिता/पति का नाम– ....

3 गृह निवास का पता–

(क) स्थाई ....

(ख) अस्थाई ....

4 शैक्षिक योग्यता– ....

5 जन्मतिथि– ....

6 आरक्षित वर्ग/सामान्य– ....

7 यदि उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं तो:–

(क) न्यायिक सेवा का नाम– ....

(ख) भर्ती का वर्ष ....

(ग) भर्ती के समय पद ....

(घ) सेवानिवृत्ति की तिथि ....

(ड.) सेवानिवृत्ति के समय धारित पद एवं वेतनमान ....

8 यदि इससे पूर्व किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थान में विधि परामर्शी के पद पर सेवारत रहे हों तो:–

(क) विभाग/संस्था का नाम– ....

(ख) भर्ती का वर्ष– ....

(ग) भर्ती के समय पद– ....

(घ) सेवानिवृत्ति तिथि– ....

(ड.) सेवानिवृत्ति के समय धारित पद एवं वेतनमान ....

9 यदि मा0 उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं तो:–

(क) बार कौन्सिल आफ इण्डिया में रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि– ....

(ख) मा0 उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस प्रारम्भ करने का वर्ष– ....

(ग) ऐसे वादों की अनुमानित संख्या जिसमें वर्तमान तक स्वतंत्र रूप से पैरवी/दाखिले हेतु स्वयं की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया हो– ....

(घ) उक्त प्रस्तर–(ग) में ऐसे वादों की संख्या जिनके विषय मण्डी अधिनियम से भी सम्बन्धित हों:– ....

10 मोबाइल नं0– ....

दिनांक:–

स्थान:–

हस्ताक्षर:–

आवेदक का नाम:–

वर्तमान पता–

घोषणा–पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएं सही हैं, मेरे उत्तम संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो छिपाया गया है। भविष्य में यदि कोई गलत तथ्य संज्ञान में आता है तो मण्डी परिषद मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांकः–
स्थानः–

हस्ताक्षरः–
आवेदक का नामः–
वर्तमान पता–